रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 1986/माघ 11, 1907

No. 37] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 1986/MAGHA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986

का.आ. 38 (अ) :--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ उनासीवां संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची मे,--

(i) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,--

(क) उप-शीर्षक "क. कृषि और सहकारिता विभाग" के अधीन,--

(1) प्रविष्टि 45 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"45 उर्वरक और खाद--मांगों का आंकलन, अखिल भारतीय जोन या क्षेत्रवार लक्ष्यों का नियतन और आबंटन, जोनों या क्षेत्रों के लिए पोषण-वार।";

(2) प्रविष्टि 46 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"46. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 का प्रशासन।";

(3) प्रविष्टि 59 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :--

"60. उर्वरकों का क्वालिटी नियंत्रण।";

(ख) उप-शीर्षक "घ. उर्वरक विभाग" के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"1. उर्वरक उत्पादन के लिए परियोजना तैयार करना, जिसके अंतर्गत किसी अभिहित सरणीकरण अभिकरण के माध्यम से उर्वरकों का आयात भी है।

2 कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किए गए आबंटनों के अनुसार उर्वरकों के संचलन और वितरण की व्यवस्था।

3. देशी और आयातित उर्वरकों के लिए उपदान का प्रबन्ध, जिसके अंतर्गत आयातित उर्वरकों के 'प्रतिधारण' मूल्य और लागत का अवधारण भी है।

4. उर्वरक (सचलन नियंत्रण) आदेश, 1960 का प्रशासन।

5. विभाग के नियंत्रण के अधीन लोक उपक्रमों के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व।

6. इस विभाग के अधीन सम्मिलित विषयों से संबद्ध पब्लिक सैक्टर परियोजनाएं, सिवाय ऐसी परियोजनाओं के जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्ट रूप से आबंटित की गई हैं।

7. सहकारिता के सैक्टर में, अर्थात्, इंडियन फारमर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (आई एफ एफ सी ओ), कृषि भारतीय कोआपरेटिव लिमिटेड (के आर आई बी एच सी ओ) उर्वरक उत्पादन एककों के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व।

8. इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई पी एल) के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व।

9. इस विभाग के अधीन विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से भी संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन।";

(ii) "रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—

(क) "रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग" उपशीर्षक के अन्तर्गत,—

(1) प्रविष्टि 6ख में "रक्षा निरीक्षण संगठन" शब्दों के पश्चात् "जिसके अन्तर्गत तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) निदेशालय भी है" शब्द और कोष्टक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(2) प्रविष्टि 6ङ में "रक्षा उपकरण तथा सामग्रियों का मानकीकरण" शब्दों के पश्चात् "जिसके अन्तर्गत मानकीकरण निदेशालय भी है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(3) प्रविष्टि 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
"8 वैमानिकी उद्योग का विकास और उनसे भिन्न उपभोक्ताओं के बीच जो सिविल विमानन विभाग और अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित है समन्वय।"

(ख) "रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग" उपशीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्:—

"1. विज्ञान और तकनीकी में हो रहे विकास का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी देना, मूल्यांकन करना और सलाह देना।

2. रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं तथा अन्तः सेवा संगठनों को हथियारों; हथियार-प्लेटफार्मों; फौजी कार्रवाइयों; निगरानी सहायता, और सैन्यतंत्र (लाजिस्टिक), संघर्ष के सभी सम्भावित क्षेत्रों में, सभी वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में सलाह देना।

3. ऐसे तकनीकों के अर्जन के बारे में, जिनका भारत में निर्यात राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, संबंधित विदेशी सरकारों के साथ करार लिखितों के संबंध में सभी विषयों पर रक्षा मंत्रालय के चरम समन्वय अधिकरण के रूप में, विदेश मंत्रालय की सहमति से कृत्य करना।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा से सुसंगत क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और डिजाइन विकास, परीक्षण और मूल्यांकन के कार्यक्रम तैयार करना और उनका निष्पादन करना।

5. विभाग के अभिकरणों, प्रयोगशालाओं, स्थापनों, रेंजों, प्रसुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निदेशन और प्रशासन

6. वैमानिकी विकास अभिकरण।

7. सैनिक विमानों, उनके उपकरण और यान सामग्रियों की उड़ान अनुकूलता डिजाइन के प्रमाणीकरण से सम्बन्धित सभी विषय।

8. विभाग की कार्यवाहियों से सृजित तकनीक के परीक्षण और अंतरण से संबंधित सभी विषय।

9 रक्षा मंत्रालय द्वारा अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित सभी हथियार प्रणालियों और संबंधित तकनीकों के अर्जन और मूल्यांकन कार्रवाईयों का वैज्ञानिक विश्लेषण, समर्थन तथा उनमें भाग लेना।

10. सशस्त्र सेवा के लिए उपकरण और सामग्रियों का विनिर्माण कर रहे या विनिर्माण करने की प्रस्थापना कर रहे उत्पादन एककों और उपक्रमों द्वारा तकनीक के आयात के तकनीकी और ज्ञान गुणधर्म के पहलुओं के बारे में सलाह देना।

11. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के अधीन किए गए निदेशों का निपटारा।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले विज्ञान और तकनीक के पहलुओं की बाबत अध्ययन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और निगमित निकायों के वित्तीय तथा अन्य सामग्री सम्बन्धी सहायता।

13. राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और तकनीक की भूमिका से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विदेश कार्य मंत्रालय के परामर्श से, सभी विषय, जिसमें निम्नलिखित भी हैं:--

(1) अन्य देशों के अनुसंधान संगठनों और अन्तर-सरकार अभिकरणों, विशेष रूप से उनसे संबंधित जो अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं से संबंधित हैं, संबंधों की बाबत विषय;

(2) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकविदों को विदेशी छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करने के लिए, विदेशों में विश्वविद्यालयों शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्य-जन्य संस्थाओं या निगमित निकायों के साथ व्यवस्था करना।

14. विभाग के बजट के नामेखाते संकर्मों का निष्पादन और भूमि का क्रय।

15. विभाग के नियंत्रण के अधीन कार्मिकों सम्बन्धी सभी विषय

16. विभाग के बजट के नामेखाते सभी प्रकार की सामग्रियों उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।

17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां।

18. भारत सरकार के किसी अन्य ऐसे मंत्रालय, विभाग अभिकरण के साथ, जिनके कार्यों का राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर प्रभाव है, करारों या व्यवस्थाओं के माध्यम से विभाग को सौंपे गये, और विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई अन्य कार्य।";

(iii) "कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--
"1. निम्नलिखित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वय का परिवीक्षण करना:--

(i) बीस सूत्री कार्यक्रम का परिवीक्षण,

(ii) आधारभूत सैक्टरों की कार्यदक्षता का परिवीक्षण, और

(iii) 20 करोड़ रुपए और उससे ऊपर की परियोजनाओं का परिवीक्षण।";

(iv) शहरी विकास मंत्रालय शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 1(i) और 2 में "और परमाणु ऊर्जा विभाग" शब्दों के स्थान पर "परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

जैल सिंह
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/86-मंत्रि.]
दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1986

S.O. 38(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and seventy ninth) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)",—

(a) under the sub-heading, "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)",—

(1) for entry 45, the following entry shall be substituted, namely :—

"45. Fertilizers and Manures—projection of demand, all India, zone or region-wise, fixation of targets and allocations, nutrient-wise for zones or regions.";

(2) for entry 46, the following shall be substituted, namely :—

"46. Administration of the Fertilizer (Control) Order, 1957.";

(3) after entry 59, the following entry shall be added, namely :—

"60. Quality control of fertilizers.";

(b) under the sub-heading, "D. DEPARTMENT OF FERTILIZERS (URVARAK VIBHAG)", for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"1. Planning for fertilizer production including import of fertilizer through a designated canalising agency.

2. Arrangements for movement and distribution of fertilizers in terms of allocations made by the Department of Agriculture and Cooperation.

3. Management of subsidy for indigenous and imported fertilizers including determination of 'retention' price and costing of imported fertilizers.

4. Administration of the Fertilizers (Movement Control) Order, 1960.

5. Administrative responsibility for public enterprises under the control of the Department.

6. Public sector projects concerned with the subjects included under this Department except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.

7. Administrative responsibility for fertilizer production units in the cooperative sector, namely, Indian Farmers' Cooperative Limited (IFFCO), Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO).

8. Administrative responsibility for the Indian Potash Limited (IPL).

9. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under this Department.";

(ii) under the heading "MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)",—

(a) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES (RAKSHA UTPADAN AUR POORTI VIBHAG)",—

(1) in entry 6D, after the words "Defence Inspection Organisation", the words and brackets "including Directorate of Technical Development and Production (Air)" shall be inserted;

(2) in entry 6E, after the words "Standardisation of defence equipment and stores", the words "including Directorate of Standardisation" shall be inserted;

(3) for entry 8, the following entry shall be substituted, namely :—

"8. Development of the aeronautics industry and coordination among users other than those concerned with the Department of Civil Aviation and the Department of Space.";

(b) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT (RAKSHA ANUSANDHAN TATHA VIKAS VIBHAG)", for entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"1. Apprising, assessing and advising Raksha Mantri, on the influence on National Security of emerging development in Science and Technology.

2. Rendering advice to Raksha Mantri and to the three services and inter services organisations on all scientific aspects of weapons; weapon-platforms; military operations; surveillance; support and

logistics in all likely theatres of conflict.

3. To function, with the concurrence of the Ministry of External Affairs, as the nodal coordinating agency of the Ministry of Defence on all matters relating to Instruments of Accord with foreign Governments relating to the acquisition of technologies whose export to India is the subject of national security related controls of foreign Governments.

4. Formulation and execution of programmes of scientific research and design, development, test and evaluation, in fields of relevance to national security.

5. Direction and administration of agencies, laboratories, establishments, ranges, facilities, programmes and projects of the Department.

6. Aeronautical Development Agency.

7. All matters relating to certification of the design and air-worthiness of military aircraft, their equipment and stores.

8. All the matters relating to the protection and transfer of technology generated by the activities of the Department.

9. Scientific analysis support and participation in the acquisition and evaluation proceedings of all weapon systems and related technologies proposed to be acquired by the Ministry of Defence.

10. To render advice on technological and intellectual property aspects of the import of technology by production units and enterprises manufacturing, or proposing to manufacture, equipment and stores for the Armed Services.

11. To deal with references made under section 35 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970).

12. Financial and other material assistance to individuals, institutions and bodies corporate, for study and for the training of manpower on aspects of Science and Technology that bear on national security.

13. In consultation with the Ministry of External Affairs on international relations in matters connected with the role of Science and Technology in national security including :

(i) matters relating to relations with Research Organisations of other countries and with inter-governmental agencies, particularly those which concern themselves, *inter-alia*, with the scientific and technological aspects of national security.

(ii) arrangements with Universities, educational and research-oriented institutions or bodies corporate abroad to provide for foreign scholarships and the training of Indian scientists and technologists under the administrative control of the Department.

14. Execution of works and purchase of lands debitable to the budget of the Department.

15. All matters relating to personnel under the control of the Department.

16. Acquisition of all types of stores, equipment and services debitable to the budget of the Department.

17. Financial sanctions relating to the Department.

18. Any other activity assigned to, and accepted by, the Department through understandings or arrangements with and other Ministry, Department, Agency of the Government of India whose activities have a bearing on the scientific and technological aspects of national Security.";

(iii) under the heading, "MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (KARYAKRAM KARYANAVAYAN MANTRALAYA)", for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"1. Monitoring of the implementation of the following projects and programmes :—

(i) Monitoring of 20-point programme ;

(ii) Monitoring of the performance of Infrastructure Sectors; and

(iii) Monitoring of projects of Rs. 20 crores and above.";

(iv) under the heading "MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)", in entries 1(i) and 2, for the words and brackets "and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag)", the words and brackets "the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antariksh Vibhag)" shall be substituted.

ZAIL SINGH
President

[No. 74|2|1|86-Cab.]
DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986